जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 (भाग 1 का उद्धरण) नकल

(नियम 76 अस्थाई चकबन्दी योजना (खतौनी चकबन्दी)

गांव/गांवों सरधना परगना सरधना तहसील सरधना जिला मेरठ

क्रम संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम तथा निवास स्थान	मौमिक अधिकार का वर्ग	मौमिक अधिकार के प्रारम्भ होने का वर्ष	पुनरीक्षित मौमिक रजिस्टर (जोत चकबन्दी आकार पत्र 11) की खाता संख्या	गाटा संख्या	मूल जोत: क्षेत्रफल: कुल योग	जो चकबन्दी में सम्मिलित नहीं है।	जो चकबन्दी में सम्मिलित है।	चकबन्दी किये जाने वाले गाटों अथवा उनके भागों का विनिमय अनुपात	चकबन्दी किये जाने वाले गाटों अथवा उनके भागों का मूल्यांकन	जोत की मालगुजारी	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये निकाले ... अंशदान का प्रतिशत/100	सार्वजनिक प्रयोजनों का अंशदान ... (13X9 (स्तम्भ 11) जोत के योग पर)	मालगुजारी जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये प्रदत्त भूमि के अंशदान के कारण कम की जाये (स्तम्भ 14X स्तम्भ 12/स्तम्भ 6) जोत के योग पर	सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये प्रदत्त भूमि के प्रतिकर की धनराशि (स्तम्भ 15X धारा 29 ख के अधीन नियत गुणक)	प्रविष्ट किया जाने वाला शुद्ध मूल्यांकन (स्तम्भ 1 स्तम्भ 13) जोत के योग	प्रस्तावित जोत: मौमिक अधिकार का वर्ग	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विनिमय अनुपात	मूल्यांकन (आनों में)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि अंशदान के कारण की जाने वाली कमी, यदि कोई हो, काटने के बाद खातेदार के द्वारा देय मालगुजारी स्तम्भ 12 स्तम्भ 15	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
२८७	कुवरपाल पुत्र रामसिंह निवासी मानपुरी मजरा सरधना	स०भू०	पूर्व १३६० फ०	६९८	१४१०/१	२.१६४४	—	२.१६४४	८०	१७३.१५२						३२१.२४७	स०भू०	१४४७/१	०.०१५०	६०	०.९००		
					१४१०/२	०.१०२०	—	०.१०२०	८०	८.१६०								१४४७/२	१.७७७९	८०	१२४.४५४		
					१४१०/४	०.०५५०	—	०.०५५०	६०	३.३००							योग	२	१.७९२९	—	१२५.३५४		
					१४१०/५	०.२५६०	—	०.२५६०	८०	२०.४८०								१४०७/१	०.०४००	८०	३.२००		
					१४१०/६	०.०३३६	—	०.०३३६	६०	२.०१६								१४०७/२	०.१०००	८०	८.०००		
					१४१०/८	०.०३००	—	०.०३००	८०	२.४००								१४१०/१	१.१४६७	८०	९१.७३६		
					१४१२	०.२१५०	—	०.२१५०	८०	१७.२००								१४१०/२	०.१०२०	८०	८.१६०		
					१४१४	०.७९११	—	०.७९११	८०	६३.२८८								१४११/१	०.१८०१	८०	१४.४०८		
					१४१७	२.२५६०	—	२.२५६०	८०	१८०.४८०								१४११/२	०.०२८५	८०	२.२८०		
					१४४७/१	०.०८१२	—	०.०८१२	६०	४.८७२								१४१२	०.१८५८	८०	१४.८६४		
					१४४७/२	२.४३३४	—	०.२३००	६०	१३.८००							योग	७ कि०	१.८७३२	—	१४४.६४८		
					"	—	—	२.२०३४	८०	१७६.२७२							स०योग	९ कि०	३.६६६१	—	२७०.००२		
					१४५७/१	०.०४८०	—	०.०४८०	६०	२.८८०													
					१४५७/२	०.६७२०	—	०.६७२०	६०	४०.३२०													
				योग	१३ कि०	९.३४८७	—	९.३४८७	—	६४३.८११													
				१/२ योग	१३ कि०	४.६७४४	—	४.६७४४	—	३२१.९०६													
				योग चक	१३ कि०	४.६७४४	—	४.६७४४	—	३२१.९०६													

\# क्रते इलाहाबाद बैंक शाखा करनावल जिला मेरठ से कुंवरपाल पुत्र रामसिंह नि० मानपुरी ने चक सं० २९७ को बन्धक करके ५०००००/- रु० रु० ऋण प्राप्त किया ह०अपठनीय 6-8-04

\# क्रते PNB सरधना से दि० 18-9-013 को कुंवरपाल पुत्र रामसिंह ने 500000/- रु० ऋण लेकर चक सं० 297 की भूमि को बन्धक किया। ह०अपठनीय 20-9-013

\# आदेश श्रीमान च०अ०वाद सं० 1212 / 19-4-88 धारा 21(1) के अन्तर्गत चक सं० 297 कुंवरपाल के बाबत चक की आपत्ति निरस्त की गयी। ह०अपठनीय 20-4-88

19

\# आदेश A.C.O. सु०न० 20-1-011 धारा 12 मे आदेश हुआ कि चक सं० 287 के गाटा सं० 1449/2 / 1-7779 हे० में से विक्रित रकबा 0.1550 हे० से विक्रेता खातेदार कुंवरपाल पुत्र रामसिंह नि० मानपुरी का नाम खारिज करके क्रेतागण डा० के०पी० चौधरी मैमोरियल एजुकेशन सोसाइटी अग्रवाल मण्डी टटीरी जिला बागपत द्वारा अध्यक्ष श्री रणबीर सिंह पुत्र कुपाराम नि० डब्लू जैड 170 सी रामपुर वेस्ट पटेल नई दिल्ली 8 तथा सचिव श्री मुकेश कुमार पुत्र फतेह सिंह नि० फतेह सिंह नि० अग्रवाल मण्डी टटीरी बागपत का नाम बैनामा रजि० 374 / 11-1-10 से दर्ज हो। ह०अपठनीय 29-1-2011

\# श्री कुंवरपाल पुत्र रामसिंह नि० ग्राम मानपुरी मजरा सरधना ने बही 2638 / 287-04 439 / 444 6354 को जो कि सूर्यकान्त महेश्वरी पुत्र कृष्ण नारायण नि० मौ० सेठान कस्बा सरधना से 250000/- रु० दो लाख पचास हजार रु० लिये थे उनके पैसे वापस करके अपना रकबा मुक्त कर लिया है। ह०अपठनीय 2-8-04

\# शाखा किसान सेवा स० समिति लि० से दि० 21-2-014 को कुंवरपाल S/o रामसिंह ने 893496/- का कर्जा दि० 21-1-19 को जमा करा दिया खाता बन्धक मुक्त किया जाता है। ह०अपठनीय 21-1-2019

\# कुंवरपाल S/o रामसिंह ने दि० 23-7-013 को 500000/- देकर बन्धक मुक्त कराया। ह०अपठनीय 27-7-013

17

\# आदेश श्रीमान ब०उ०च०अ० (अपील सं० 01-6-013 धारा 5 ग जोत चकबन्दी अधिनियम में आदेश हुआ कि ग्राम सरधना के सुरेश कुमार फतेह सिंह नि० अग्रवाल मण्डी टटीरी सचिव डा० के०पी० चौधरी मैमोरियल सोसाइटी अग्रवाल मण्डी टटीरी बागपत के सरधना के चक सं० 297 के गा०सं० 1449/2 / 01550 हे० पर आबादी दर्ज हो ह०अपठनीय 21-2-014

\# क्रते किसान सेवा सह० समिति लि० सरधना से कुंवरपाल पुत्र रामसिंह ने चक सं० 297 को बन्धक करके 893496 रु० ऋण लिया। ह०अपठनीय

\# आदेश शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक डिफ्लेरेशन अन्डर सेक्शन (6) से श्री कुंवरपाल पुत्र रामसिंह ने इस बैंक से 100000/- रु० एक लाख रु० लोन लेकर ग्राम सरधना स्थित चक सं० 297 को पूर्ण रूप से बन्धक किया। ह०अपठनीय 13-7-99

\# महायदा पत्र — श्री कुंवरपाल पुत्र रामसिंह नि० ग्राम मानपुरी मजरा सरधना प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष श्री सूर्यकान्त महेश्वरी पुत्र कृष्ण नारायण नि० मौ० सेठान कस्बा सरधना को 250000/- रु० दो लाख पचास हजार रु० पेशगी घर पर रहने की सुविधा के कारण से अपना प्रथम चक जिसका रकबा 1.6628 हे० है को तीन साल के लिए महायदा किया। ह०अपठनीय 25-2-03

सहायक चकबन्दी अधिकारी

शाखा इलाहाबाद बैंक करनावल से कुंवरपाल पुत्र रामसिंह ने सम्पूर्ण ऋण अदा कर दिये हैं खाता बन्धक मुक्त किया जाता है। ह०अ०ले० 21-01-019

4 शाखा इलाहाबाद बैंक करनावल से कुंवरपाल S/o रामसिंह ने सम्पूर्ण ऋण अदा कर दिया है खाता बन्धक मुक्त किया जाता है। ह०आ० 21-1-019

(मुहर: सहायक चकबन्दी अधिकारी, मेरठ प्रथम)

नकल कर्ता - [signature]

मिलान कर्ता - [signature]

खंडित खंडित

प्रार्थना पत्र का दिनांक 30/06/020
नकल तैयारी का दिनांक 01/07/020
नोटिस बोर्ड का दिनांक 01/07/020
नकल जारी करने का दिनांक 01/07/020
स्टाम्प [signature]

सत्य प्रतिलिपि
[signature]
सहायक चकबन्दी अधिकारी
मेरठ प्रथम

उपरोक्त P.N.B सरधना से दि० 30-1-19 को चकदार कुंवरपाल S/o रामसिंह ने चक 297 को 10,00000/= दस लाख रु० में ऋण का बैंक के पक्ष में बन्धक किया। ह०आ० 04-02-019

किसान सेवा स० समिति लि० सरधना से दि० 3-3-19 को चक सं० 297 कुंवरपाल S/o रामसिंह ने 300000/- तीन लाख रु० में ऋण सम्पूर्ण बैंक पक्ष में बन्धक किया। ह०अ०ले० 27-3-019

आदेश श्रीमान स० च० अ० वाद सं० 41 / 19-3-020 धारा 12 में आदेश हुआ कि ग्राम सरधना परगना तहसील सरधना के चक सं० 297 के ख०नं० 1449/2 / 0.12000 हे० से उपहारदाता डा० के०पी० चौधरी मेमोरियल एजूकेशनल सोसाइटी कार्यालय अग्रवाल मंडी टटीरी जिला बागपत द्वारा अध्यक्ष श्री रणवीर सिंह पुत्र कृपाराम नि० डब्लू जैड 170 सी खामपुर पटेलनगर दिल्ली व सचिव सुरेश कुमार पुत्र फतेह सिंह नि० अग्रवाल मंडी टटीरी जिला बागपत का नाम खारिज करके उपहार गृहिता एस०आई०टी० एजूकेशनल सोसाइटी कार्यालय मो० तीवान सरधना मेरठ द्वारा अध्यक्ष उक्त सोसाइटी मानिक चन्द जैन पुत्र श्री सुरेश चन्द जैन नि० 19 मो० स्वामीयान सरधना मेरठ व सचिव उक्त सोसाइटी श्रीमती मन्जू लता जैन धर्मपत्नी मानिक चन्द जैन नि० 19 मो० स्वामीयान सरधना मेरठ का नाम सह खातेदार बन्धक है के सहित बैनामा रजि० सं० 2063 / 7-02-02 के आधार पर बतौर स०भू० दर्ज हो। लगान नियमानुसार दर्ज हो। ह०अ०ले० 30-6-020

आदेश स० च० अ० वाद सं० 90 / 05-08-019 धारा 12 में आदेश हुआ कि चक सं० 297 के प्रस्तावित ख०नं० 1449/2 / 0.5500 हे० भूमि में से 0.3500 हे० भूमि से उपहारदाता डा० के०पी० चौधरी मेमोरियल एजूकेशन सोसाइटी कार्यालय अग्रवाल मंडी टटीरी जिला बागपत द्वारा अध्यक्ष श्री रणवीर सिंह पुत्र कृपाराम डब्लू जैड-0170 सी खामपुर पटेलनगर दिल्ली व सचिव, सुरेश कुमार पुत्र फतेह सिंह नि० अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत का नाम खारिज करके उपहार गृहिता महिला इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित ग्राम सरधना देहात तह० सरधना जिला मेरठ द्वारा संचालित एस० आई० टी० एजूकेशन सोसाइटी कार्यालय मो० तीवान सरधना जिला मेरठ द्वारा सचिव उक्त कालिज व सोसाइटी श्रीमती मंजू लता जैन पत्नी मानिक चन्द जैन नि० 19 मो० स्वामीयान सरधना जिला मेरठ का नाम बैनामा रजि० सं० 12041 / 27-06-019 के आधार पर बतौर स०भू० दर्ज हो। लगान नियमानुसार दर्ज हो। ह०अ० 30-08-019